बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0:– 3/अ0प्र0–1–184/2020(खंड) 30 /पटना, दिनांक :– 23.8.22

श्री अनिल कुमार, तदेन रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज ने विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–21–सह–पठित ज्ञापांक–715 दिनांक 08.06.2021 द्वारा अधिरोपित दंड के विरूद्ध अपील अभ्यावेदन दिनांक 09.07.2021 दायर किया है।

2. श्री कुमार के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, अरेराज अंतर्गत पदस्थापन काल(वर्ष 2015–17) में रोकड़बही में अन्तिम शेष नहीं निकाले जाने, PMGSY Maintenance मद का भुगतान PMGSY Programme Fund से किये जाने, MMGSY WB16-Areraj-02 में अधिक भुगतान किये जाने, Royality मद की राशि को दिनांक 31.03.2020 तक संबंधित शीर्ष में जमा नहीं किये जाने एवं समूचित LD की कटौती नहीं किये जाने संबंधी आरोपों के लिये गठित आरोप पत्र के आधार पर संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के रूप में इनके विरूद्ध विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–21–सह–पठित ज्ञापांक–715 दिनांक 08.06.2021 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम–14(VII) के तहत कालमान वेतन में निम्नतम प्रक्रम (लेवल–4 के 25,500/–) पर सेवानिवृत्ति तक अवनति एवं इस अवधि में कोई वेतन वृद्धि देय नहीं होने की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया गया।

3. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री कुमार के पत्रांक–0 दिनांक 09.07.2021 द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में मूलतः कहा गया है कि विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप संख्या–2 के द्वितीय अंश पी0एम0जी0एस0वाई के अनुरक्षण मद का भुगतान पी0एम0जी0एस0वाई प्रोग्राम फंड के द्वारा किया गया है, को आंशिक रूप से प्रमाणित एवं शेष आरोपों को अप्रमाणित पाया गया है। कार्य प्रमंडल, अरेराज के अधीन लेखा लिपिक/कनीय लेखा लिपिक का चार पद स्वीकृत है, जिसके विरूद्ध मात्र एक लेखा लिपिक के पद पर उस समय पदस्थापन किया गया था। शेष पद रिक्त रहने के कारण अन्य तीन लेखा लिपिकों का कार्य संपादन मेरे द्वारा किया जा रहा था। अत्याधिक कार्य बोझ के कारण उक्त भूल हुई। उक्त भूल के संज्ञान में आते ही मेरे द्वारा ब्राडा को सूचना दी गयी। मेरे द्वारा दिये गये सूचना के उपरांत ही BRRDA से प्राप्त निदेश के आलोक में PMGSY Programme Fund के Bank Account के खाता में PMGSY Maintainance Fund के Bank Account के खाता से चेक के माध्यम से उक्त राशि का समायोजन कर दिया गया। इस प्रकार तत्समय ही भूल सुधार भी कर दिया गया है एवं किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई है। इस संबंध में यहाँ यह विचारणीय है कि एक ही योजना PMGSY के अधीन एक मद से दूसरे में भुगतान हो गया था। ऐसा नहीं था कि PMGSY योजना से MMGSY योजना का अथवा MMGSY से PMGSY का भुगतान हुआ था। मामला संज्ञान में आते ही राशि का समायोजन कर दिया गया था। उक्त गलती अत्याधिक कार्यबोझ के कारण हुई थी, जिसे सुधार कर लिया गया था। इसमें कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। लगाये गये 6 आरोपों में से 5 आरोप अप्रामणित पाया गया था जबकि मात्र एक आरोप संख्या–2 आंशिक रूप से प्रमाणित पाये जाने का मंतव्य दिया गया था जिसके संबंध में मेरे द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी । वह भी आरोप PMGSY अनुरक्षण मद का भुगतान PMGSY Programme Fund से किये जाने के संबंध में था जिसे एक प्रक्रियात्मक भूल कहा जा

16/8/22

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihar.nic.org, E-mail:- secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

सकता है जिसका संज्ञान वरीय पदाधिकारियों के द्वारा भी नहीं लिया गया था। उपरोक्त प्रक्रियात्मक अनियमितता के आलोक में जिसमें कोई वित्तीय क्षति नहीं है, के आलोक में वृहद दंड जिससे आर्थिक हानि होगी, पर पुर्नविचार करने का अनुरोध श्री कुमार द्वारा किया गया है।

4. श्री अनिल कुमार, तदेन रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज सम्प्रति कनीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ईमामगंज द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि श्री कुमार द्वारा अपने अपील अभ्यावेदन में वही तथ्य कहा गया है, जो उनके द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष रखा गया था। अपील अभ्यावेदन में कोई ऐसा नया तथ्य नहीं दिया गया, जो विचारण के योग्य हो।

5. अतः उपर्युक्त परिपेक्ष्य में श्री अनिल कुमार, तदेन रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज सम्प्रति कनीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ईमामगंज द्वारा दिये गये अपील अभ्यावेदन दिनांक 09.07.2021 को अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

16/8/2022

(संजय दूबे)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–184/2020(खंड) 1403 /पटना, दिनांक :– 23.8.22

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी/गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/2022

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–1–184/2020(खंड) 1403 /पटना, दिनांक :– 23-8-22

प्रतिलिपिः– सचिव के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मोतिहारी/सीतामढ़ी/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज/बेलसंड/ईमामगंज/प्रशाखा पदाधिकारी–8, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–12, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई0टी0 मैनेजर, बिहार, पटना/श्री अनिल कुमार, तदेन रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरेराज सम्प्रति कनीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ईमामगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/8/2022

विशेष सचिव

(SU) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in